रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271639
CG-DL-E-08042026-271639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948
No. 238] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

सं. 04/2026-सीमा शुल्क(एडीडी)

सा.का.नि. 258(अ).— जब कि चीन जनवादी गणराज्य (इसमें इसके पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों", (इसमें इसके पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसमें इसके पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 84561100, 84569090, 85152190, 85158090 और 90132000 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/07/2022-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 जिसे दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है;

और जब कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अन्तिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/2023-सीमाशुल्क (एडीडी), जिसे दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को सा.का.नि. सं. 913(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जब कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने संशोधन अधिसूचना सं. 07/24/2025-डीजीटीआर, जिसे दिनांक 28 जनवरी, 2026 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खण्ड-। में प्रकाशित किया गया था, के अनुसार 'बिस्ट्रोनिक (शेन्ज़ेन) लेजर टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड' के अपना नाम बदलने के अनुरोध पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के शेयरधारकों, शेयर पूंजी, स्वामित्व, प्रबंधन, लीगल स्टैटस और संरचना सरीखे कारकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना सं. 07/24/2025-डीजीटीआर, दिनांक 28 जनवरी, 2026 में यह सिफारिश की है कि उत्पादक का नाम 'बिस्ट्रोनिक (शेन्ज़ेन) लेजर टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड' से बदलकर 'डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड' कर दिया जाए और यह सिफारिश की है कि अधिसूचना सं. 15 /2023-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 में आवश्यक संशोधन किया जाए;

अत: अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षतिपूर्ति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधाराओं (1) और (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अधिसूचना सं. 07/24/2025-डीजीटीआर, दिनांक 28 जनवरी, 2026 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15 /2023-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 913(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 5 के सामने, कॉलम (6) में प्रविष्टि 'बिस्ट्रोनिक (शेन्ज़ेन) लेजर टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड' के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड"।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/240/2023-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना सं. 15 /2023-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को सा. का.नि. संख्या 913(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

No. 04/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 258(E).— Whereas, in the matter concerning imports of 'Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 84561100, 84569090, 85152190, 85158090 and 90132000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 06/07/2022-DGTR, dated the 27th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th September, 2023, has recommended the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 15/2023-Customs (ADD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 913(E), dated the 22nd December, 2023;

And whereas, the designated authority had, *vide* amendment notification No. 7/24/2025-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th January 2026, considered the request of 'Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd' to change its name and concluded that there is no change in shareholders, share capital, ownership, management, legal status and structure of the entity, and recommended change of name of the producer from 'Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd' to 'DNE LASER (Guangdong) Co., Ltd.' in its final findings notification No. 06/07/2022-DGTR, dated the 27th September, 2023 and recommended that necessary amendment may also be carried out in notification No. 15/2023-Customs (ADD) dated 22nd December, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the recommendation of the designated authority in the notification No. 7/24/2025-DGTR, dated the 28th January 2026, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance(Department of Revenue), No. 15/2023-Customs (ADD) dated 22nd December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 913(E), dated the 22nd December, 2023 , namely:-

In the said notification, in the TABLE, against SN 5, in column (6), for the entry "Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd", the following entry shall be substituted, namely: -

"DNE LASER (Guangdong) Co., Ltd.".

[F. No. CBIC-190354/240/2023-TO(TRU-I)-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 15/2023-Customs (ADD), dated the 22nd December, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 913(E), dated the 22nd December, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.08 22:08:20 +05'30'